"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 जनवरी 2011—पौष 17, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2011

क्रमांक 129/4/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 31-12-2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 2 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन) अधिनियम, 2010

छत्तीसगढ़ साहूकारी अधिनियम, 1934 (क्रमांक 13 सन् 1934) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 1 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ साहूकारी अधिनियम, 1934 (क्रमांक 13 सन् 1934) की धारा 1 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(2) इसका विस्तार निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर होगा."

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2011

क्रमांक 129/4/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 02 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 2 of 2011)

THE CHHATTISGARH MONEY LENDERS (AMENDMENT) ACT, 2010

An Act further to amend the Chhattisgarh Money Lenders Act, 1934 (No. 13 of 1934).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty first year of the Republic of India as follows :-

Short title and Commencement. 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Money Lenders (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 1. 2. For sub-section (2) of Section 1 of the Chhattisgarh Money Lenders Act, 1934 (No. 13 of 1934), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(2) It extends to the whole of Chhattisgarh except referred Scheduled Areas."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.